


4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जायें तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
5. योजनान्तर्गत कराये जाने वाले समस्त कार्यों का विवरण, उनकी लागत, कार्य पूर्ण होने की अवधि, कार्यदायी संस्था व उससे संबंधित अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी का नाम व फोन नम्बर कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड लगाकर सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त सभी विवरण एवं योजना का आगणन डूडा की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
7. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
10. योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्वावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
14. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
15. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।


16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2018 तक व्यय हो सके। *
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 से "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना" के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 तथा समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(राम नेवास)
विशेष सचिव।

संख्या-148/2017/970(1)/69-1-2017 तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गोरखपुर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-8, 30प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-148/2017/970/69-1-2017-67(म0ब0-83)/2016 दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 का
संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में स्वीकृत योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	गोरखपुर	न०नि० गोरखपुर	वार्ड सं० 43 बनकटवा में विमला देवी के घर से डा० अरून के घर तक एवं मनोज के घर से रवि के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.78	2.89
2.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में गोरख के घर से हरिहर प्रसाद के घर होते हुये रासूरत के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.27	1.635
3.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में मोतीलाल के घर से अन्तलाल के घर होते हुये अशोक कुमार के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.15	2.075
4.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में नयागांव में देवेन्द्र के घर से बंधे तक एवं ओम प्रकाश के घर से के०एम० दुबे के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	39.02	19.51
5.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में एल०सी० यादव के घर से को० एजूकेशनल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.68	8.34
6.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में नयागांव में राम लखन के घर से जीवधन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.86	4.93
7.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में फूलचन्द के घर से बृजनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.91	11.955
8.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में बरगदवा टोला में राधेश्याम के घर से सबलू के घर और सुभाष के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.19	4.595
9.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में दिनेश के घर से राम मनोहर के घर होते हुये केशव चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	36.73	18.365
10.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में भारत चौहान के घर से राजेन्द्र के घर, होती के घर से केदार के घर होते हुये बुद्धिराम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.42	8.71
11.	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 43 बनकटवा में बरगदवा में अशोक	32.52	16.26

Prave


-21

			के घर से अनिरुद्ध के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।		
12.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राप्तीनगर में राजेश के घर से विवेक, किशुन के घर होते हुये राजन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	29.03	14.515
13.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राप्तीनगर में प्रमोद कुमार के घर से रमेश, हरेन्द्र, मंजू देवी के घर होते हुये राजाराम के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	25.56	12.78
14.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राप्तीनगर में गबरू के घर से सरजेन्ट के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	4.58	2.29
15.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राप्तीनगर में मैथ्यूज के घर से थामस के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.64	1.32
16.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राप्तीनगर में मेन रोड से त्रिलोकी के घर होते हुये प्रेमचन्द, रामसूरत, फूलचन्द, बनवारी एवं वृजमान के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	16.02	8.01
17.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राप्तीनगर में मेन रोड से गोविन्द वालाबह के घर से बगल तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	31.62	15.81
18.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राप्तीनगर में मेन् रोड से सारवीन के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.11	18.555
19.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राप्तीनगर में सारवीन के घर से कुलदीप के घर होते हुये पंकज के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.70	12.35
20.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 10 राप्तीनगर में बनारसी के घर से हेमन्त्र लाल के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	37.36	18.68
21.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में महात्म के घर से विद्यानन्द के घर तक व गौरी शंकर के घर से धिरेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.36	3.68
22.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में साइमन के घर से विलसन एक्का के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.05	1.525
23.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में रंजना के घर से यशिष्ठ के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.53	4.765
24.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में दुर्गा मेडिकल स्टोर से सन्दीप के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.45	4.225
25.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में समय माता मन्दिर से अमित कुमार के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.10	4.05

Bawe

26.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में मनोज के घर से जिलेवा देवी के घर होते हुये कमलेश के घर तक इण्टरलाकिंग सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	7.18	3.59
27.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में राजेश साइमन के घर से जगदम्बा के घर होते हुये लक्ष्मण के घर तक इण्टरलाकिंग सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	9.34	4.67
28.	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 05 बशारतपुर में सोमारी देवी के घर से गिरजा देवी के घर तक इण्टरलाकिंग सडक एवं नाली निर्माण कार्य।	7.67	3.835
योग				467.83	233.915

(रुपये दो करोड़ तैतीस लाख इक्क्यानवे हजार पांच सौ मात्र)।


(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव